न्यायालयः–प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बड़वाह (प.नि.)
(समक्षः– सुश्री श्वेता गोयल)

Registration No.MACC/01/2023
Filing No.MACC/147/2022
CNR No. MP1007-001568-2022
Filing Date. 07-09-2022

नंदकिशोर पिता रामलाल कर्मा, आयु 58 वर्ष, व्यवसाय प्रायवेट नौकरी, निवासी अहिल्यापुरा बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.) ....आवेदक

वि रू द्ध

1. शेख राजिक पिता शेख सलीम, निवासी अंकित टॉकिज के पास, नेहरू नगर बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.) (वाहन चालक)
2. जावेद पिता नवाब तड़वी, निवासी तालयवाल, जिला जलगांव (महाराष्ट्र) (वाहन स्वामी)
3. एच.डी.एफ.सी. एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी पता फ्लेट नंबर 205–206 सैकण्ड फ्लोर, डी.एम.टॉवर न्यू पलासिया इंदौर (म.प्र.) (बीमा कंपनी) ....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से श्री सुनील चावरे अधिवक्ता
अनावेदक क्रमांक–01 की ओर से श्री अनुराग अवस्थी अधिवक्ता
अनावेदक क्रमांक–02 की ओर से श्री मुकेश जाट अधिवक्ता
अनावेदक क्रमांक–03 की ओर से श्री जी.एस. चौहान अधिवक्ता

–: : अधिनिर्णय : :–

(अधिनिर्णय दिनांक 26/03/2025 को घोषित)

1. आवेदक नंदकिशोर ने यह याचिका मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दिनांक 07.04.2022 को हुई दुर्घटना में कारित स्थायी निःशक्तता के परिणामस्वरूप अनावेदकगण से संयुक्ततः व पृथकतः–पृथकतः प्रतिकर राशि ₹ 20,00,000/– की अदायगी हेतु पेश की है।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि दुर्घटनाग्रस्त पीकअप वाहन क्रमांक एमएच 03 सीपी 4335 (अत्र पश्चात् दुर्घटनाग्रस्त वाहन संबोधित) अनावेदक क्रमांक 02 जावेद के नाम आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत है और दुर्घटना दिनांक 07.04.2022 को दुर्घटनाग्रस्त वाहन का चालक अनावेदक क्रमांक 01 था और दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 03 संस्था में बीमित था।

3. याचिकाकर्ता की याचिका संक्षेप में यह है कि दिनांक 07.04.2022 को याचिकाकर्ता नंदकिशोर कर्मा अपनी मोटरसाईकिल से नाईट ड्यूटी हेतु शराब फैक्ट्री जगतपुरा जा रहा था और जैसे ही वह निर्मल विद्यापीठ स्कूल और निमाड़ मोटर्स के बीच पहुँचा तभी इंदौर तरफ से आ रहे दुर्घटनाग्रस्त वाहन पीकअप क्रमांक एमएच 03 सीपी 4335 के चालक ने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर ओवरटेक करते हुए याचिकाकर्ता की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, जिससे वह नीचे गिर गया और उसे दांये पैर में अस्थिभंग होकर बांये पैर व शरीर के अन्य अंगों में गंभीर चोटें कारित हुई। याचिकाकर्ता को उपचार हेतु शासकीय अस्पताल बड़वाह लाया गया, किंतु उसकी स्थिति गंभीर होने से उसे मोरी हॉस्पीटल सनावद ले गये, जहॉ से उसे कमलाबेन अस्पताल धामनोद लाया गया, जहॉ उसके दाहिने पैर के अस्थिभंग का ऑपरेशन कर राड़ डाली गयी एवं शरीर में आई अन्य चोटों का उपचार किया

गया। उसके दांये पैर में अस्थिभंग होने कारण याचिकाकर्ता को स्थायी निर्योग्यता कारित हुई। याचिकाकर्ता का वर्तमान में भी उपचार जारी है। याचिकाकर्ता अपना दैनिक एवं प्रायवेट नौकरी करने में असमर्थ हो गया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने यह याचिका अनावेदक क्रमांक 01 लगायत 03 वाहन चालक, वाहन मालिक एवं बीमा कंपनी के विरूद्ध ₹ 20,00,000/– क्षतिपूर्ति राशि संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से अदा किये जाने हेतु यह याचिका प्रस्तुत की है।

4. अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी ने याचिकाकर्ता के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब दावे के विशेष कथन में यह अभिवचन किया है कि उक्त दुर्घटना में याचिकाकर्ता की भी अंशदायी उपेक्षा रही है। याचिकाकर्ता दुर्घटना के समय हेलमेट नहीं पहने हुए था। अनावेदक क्रमांक 01 के पास दुर्घटना दिनांक को वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लाइसेंस नहीं था। दुर्घटनाग्रस्त वाहन मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन में चलाया जा रहा था। अतः याचिका निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5. अनावेदक क्रमांक 01 ने याचिकाकर्ता के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब दावे के विशेष कथन में यह अभिवचन किया है कि उसके द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर कोई दुर्घटना कारित नहीं की है और न ही नदंकिशोर की मोटर साईकिल में टक्कर मारी। याचिकाकर्ता ने पुलिस बड़वाह के साथ मिलकर उसके विरूद्ध असत्य आधारों पर मात्र क्लेम राशि प्राप्ति हेतु रिपोर्ट दर्ज करायी है। दुर्घटना दिनांक को दुर्घटनाग्रस्त वाहन अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी में बीमित था, जिस

कारण यदि क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जाती है तो अनावेदक क्रमांक 03 उत्तरदायी है।

6. अनावेदक क्रमांक 02 ने जवाब दावे में अभिवचन किया है कि अनावेदक क्रमांक 01 ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर याचिकाकर्ता को टक्कर नहीं मारी। उनके विरूद्ध असत्य रिपोर्ट पंजीबद्ध करायी गई है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी में बीमित है। यदि क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जाती है तो अनावेदक क्रमांक 03 उत्तरदायी है।

7. यह याचिका दिनांक 07.09.2022 को तृतीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बड़वाह के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। दिनांक 09.05.2024 को माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, मण्ड़लेश्वर के आदेश क्रमांक 2016/सा.ले./मण्ड़लेश्वर दिनांक 29.04.2024 के पालन में श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया, तृतीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बड़वाह के न्यायालय से यह प्रकरण इस अधिकरण को अंतरण पर प्राप्त हुआ।

8. उभयपक्ष के अभिवचनों एवं दस्तावेज के आधार पर निम्न वाद प्रश्न दिनांक 16.07.2024 को विरचित किये गये, जिन पर निष्कर्ष, निष्कर्ष पर पहुॅचने के उपरांत अभिलिखित किए जाऍंगे।

क्रमांक	**वाद प्रश्न**	**निष्कर्ष**
1	क्या दिनांक 07.04.2022 को रात के लगभग 11:30 बजे स्थान निर्मल विद्यापीठ स्कूल और निमाड़ मोटर्स के बीच, आरक्षी	**''साबित''**

	केन्द्र बड़वाह, जिला खरगोन क्षेत्रातंर्गत, अनावेदक कमांक 01 द्वारा अनावेदक कमांक 02 के स्वत्व स्वामित्व के वाहन पीकअप कमांक एमएच 03 सीपी 4335 को उपेक्षा या उतावलेपन पूर्वक चलाकर आवेदक नंदकिशोर को टक्कर मारकर दुघ टिना कारित की ?	
2	क्या उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप आवेदक नंदकिशोर के शरीर पर गंभीर चोटें कारित होकर स्थायी निःशक्तता कारित हुई ?	**''स्थायी निःशक्तता साबित नहीं, घोर उपहति साबित''**
3	क्या अनावेदक कमांक 01 द्वारा दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन बिना वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति के चलाया जा रहा था ?	**''साबित नहीं''**
4	क्या अनावेदक कमांक 01 द्वारा दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था ?	**''साबित नहीं''**
5	क्या आवेदक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हॉ तो किससे और किस दर से ?	**''हॉ, याचिकाकर्ता क्षतिपूर्ति राशि अधिनिर्णयानुसार प्राप्त करने का अधिकारी हैं''**
6	सहायता एवं वाद व्यय ?	**''अधिनिर्णय की कंडिका कमांक 32 के अनुसार''**

–: : निष्कर्ष के आधार : :–

–:: वाद प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का निराकरण ::–

9. आवेदक नंदकिशोर (आ.सा. 01) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 07.04.2022 को वह अपनी मोटरसाईकिल से नाईट ड्यूटी करने शराब फैक्ट्री खोड़ी जा रहा था और जैसे ही वह निर्मल विद्यापीठ स्कूल और निमाड़ मोटर्स के मध्य पहुॅचा तभी इंदौर तरफ से पिकअप वाहन एमएच 03 सीपी 4335 के चालक ने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाकर ओवरटेक करते हुए उसकी मोटरसाईकिल में सामने से टक्कर मार दी, जिससे वह नीचे गिर गया। घटना के बाद राहगीरों ने और पुलिस की पीसीआर के जवानों से उसे संभाला। घटना कारित करने वाला वाहन घटनास्थल पर खड़ा था, उस समय उसने गाड़ी का नंबर देखा था। उसे शासकीय अस्पताल लाया गया, वहॉ से उसके परिजन उसे मोरी अस्पताल सनावद ले गये थे, परन्तु उसकी स्थिति गंभीर होने से उसके परिजन उसे कमलाबेन अस्पताल धामनोद ले गये थे, जहॉ उसके दांये पैर की दो सर्जरी हुई थी तथा उसके शरीर में कारित अन्य चोटों का उपचार किया गया तथा वर्तमान में भी उसका उपचार जारी है।

10. याचिकाकर्ता ने प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 02, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 एवं अभियोग पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 01 पेश की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 के अनुसार घटना दिनांक 07.04.2022 की है और वह पिकअप क्रमांक एमएच 03 सीपी 4335 के चालक के विरूद्ध लेख कराया जाना दर्शित है। अभियोग पत्र के अनुसार अभियोग पत्र दुघर्टनाग्रस्त वाहन के चालक शेख राजिक पिता शेख सलीम के विरूद्ध

कता किया गया है। आपराधिक प्रकरण में उसे धारा 41क दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दिये गये नोटिस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 05 पेश की गई है। जप्ती पत्रक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 04 के अनुसार चालक शेख राजिक अनावेदक क्रमांक 01 से दुर्घटनाग्रस्त वाहन, वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड की छायाप्रति, परमिट, अनावेदक क्रमांक 01 का ड्रायविंग लाइसेंस एवं बीमा पॉलिसी की छायाप्रति तथा फिटनेस कार्ड जप्त की गई है। उक्त दस्तावेजों के खण्डन में प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। दुर्घटनाग्रस्त वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड की फोटो प्रति पेश की गई है, जिसके अनुसार दुर्घटनाग्रस्त वाहन प्रत्यर्थी क्रमांक 02 जावेद के नाम आरटीओ कार्यालय में दर्ज है।

11. अतः यह दर्शित है कि दुर्घटना दिनांक 07.04.2022 को दुर्घटनाग्रस्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी अनावेदक क्रमांक 02 जावेद एवं चालक अनावेदक क्रमांक 01 शेख राजिक था।

12. याचिकाकर्ता नंदकिशोर (आ.सा. 01) ने दुर्घटना में उसके दांये पैर में चोट आने का कथन किया एवं उसके पैर के दो ऑपरेशन होना बताये। उन्होंने एक्सरे प्रतिवेदन प्रदर्श पी 06, एमएलसी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 07 एवं डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श पी 08, 09 पेश किये हैं, जिसके अनुसार आहत को दांये पैर पर चोट आई। प्रदर्श पी 06 और 09 के अनुसार आहत /याचिकाकर्ता को दांये पैर की टिबिया एवं फेबुला में अस्थिभंग आना दर्शित है। इस प्रकार दर्शित है कि आहत/याचिकाकर्ता को दुर्घटना में आई चोटों से अस्थिभंग कारित हुआ।

13. याचिकाकर्ता नंदकिशोर (आ.सा. 01) ने अपने समर्थन में प्रदर्श पी 23 का स्थायी निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है एवं डॉ. दिनेश ठाकुर (आ.सा. 02) का कथन न्यायालय में कराया है। उन्होंने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 23.02.2024 को उन्होंने याचिकाकर्ता नंदकिशोर का स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिये परीक्षण किया था। परीक्षण के पश्चात् उन्होंने, उसके दाहिने पैर के घुटने निचले वाले भाग के एक्सरे की सलाह दी थी। एक्सरे परीक्षण में दाहिने पैर की टीबिया हड्डी के प्रोक्जिमल एवं शेफ्ट भाग का जुड़ा हुआ अस्थिभंग पाया था, साथ ही प्लेट व स्क्रू भी पाये थे तथा फेबूला हड्डी का जुड़ा हुआ अस्थिभंग पाया था। उन्होंने दाहिने पैर के घुटने की चाल एवं मांसपेशियों की ताकत का आंकलन कर मोडिफाईड केसलर पद्धति द्वारा 37 प्रतिशत की स्थायी अक्षमता होना पाया था। उन्होंने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 05 में यह स्वीकार किया कि उन्होंने दो वर्ष बाद अयोग्यता प्रमाण पत्र दिया था और आवेदक का उपचार उनके द्वारा नहीं किया गया है और प्रतिपरीक्षण क्रमांक 04 में यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने अयोग्यता अंग विशेष के लिए बताई है। उन्होंने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता को जो अस्थिभंग था, वह पूर्ण रूप से जुड़ चुका था। उन्होंने याचिकाकर्ता के पूरे शरीर के मान से निःशक्तता का आंकलन नहीं किया है। उन्होंने यह भी कथन किया कि आवेदक नंदकिशोर केवल प्रमाण पत्र बनवाने आया था, उनके द्वारा केवल अयोग्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिये परीक्षण किया था। डॉ. दिनेश ठाकुर द्वारा याचिकाकर्ता का ऑपरेशन नहीं किया और ना ही उसका कोई इलाज किया है। उन्होंने पूरे

शरीर के मान से निःशक्तता का प्रमाण पत्र नहीं दिया।

14. याचिकाकर्ता नंदकिशोर (आ.सा. 01) ने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 03 में कथन किया कि दुर्घटना के पूर्व वह ऐसोसियड अल्कोहल ब्रेववीज खोड़ी फेक्ट्री में बायलर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था, किंतु उसके कथन से दर्शित नहीं है कि दुर्घटना में आई चोट से उसके कार्य करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव हुआ। घटना दिनांक 07.04.2022 की बतायी गई है। याचिकाकर्ता ने मई 2022 और जून 2022 की वेतन स्लीप प्रदर्श पी 25 एवं 26 पेश की गई है, जिसमें उसका वेतन अप्रैल 2022 के समान ₹ 29,205/– है। अतः याचिकाकर्ता को स्थायी निःशक्तता होना साबित नहीं होती है।

15. दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 01 शेख राजिक (अपरीक्षित) को प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है। इस संबंध में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्व अखिलेश द्विवेदी एवं अन्य 2007 (II) एमपीडब्ल्यूएन 21** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि, जहॉ दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक का परीक्षण नहीं कराया गया है, वहॉ अधिकरण को यह अनुमान करना चाहिए कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया गया था।

16. वाद प्रश्न क्रमांक 01 व 02 के संबंध में अधिकरण का निष्कर्ष है कि दिनांक 07.04.2022 को रात के लगभग 11:30 बजे स्थान निर्मल विद्यापीठ स्कूल और निमाड़ मोटर्स के बीच आरक्षी केन्द्र बड़वाह, जिला खरगोन क्षेत्रातंर्गत अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व के वाहन पिकअप

क्रमांक एमएच 03 सीपी 4335 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर याचिकाकर्ता नंदकिशोर की दुर्घटना कारित की जिसके परिणामस्वरूप उसको घोर उपहति कारित हुई, किंतु याचिकाकर्ता को दुर्घटना में आई चोट से स्थायी निःशक्तता होना साबित नहीं होता है।

वाद प्रश्न क्रमांक–03 का निराकरण :–

17. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में अनावेदक साक्षी संतोष कनेश (अना.सा.–02) आर. टी.ओ. कार्यालय बुरहानपुर सहायक ग्रेड–03 ने अनावेदक क्रमांक 01 राजिक की चालन अनुज्ञप्ति क्रमांक एम.पी. 68 आर 20210010699 का रिकार्ड न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार अनावेदक क्रमांक 01 राजिक को दिनांक 11.02.2019 से 11.02.2039 तक मोटर साईकिल विथ गियर, हल्का चार पहिया वाहन, हल्का ट्रॉसपोर्ट व्हीकल दिनांक 08.02.2021 से 07.02.2026 तक एवं भारी ट्रॉसपोर्ट व्हीकल दिनांक 08.02.2021 से 07.02.2026 तक बैच नंबर 2072 का जारी हुआ है, जिसकी सत्यप्रति प्रदर्श डी 04 एवं प्रदर्श डी 05 है, जिसके ए से ए भागों पर आर.टी.ओ. जगदीश बिल्लोरे के हस्ताक्षर है। याचिकाकर्ता नंदकिशोर ने आपराधिक प्रकरण का जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 04 प्रस्तुत किया है, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 04 के अनुसार अनावेदक क्रमांक 01 से उसका ड्रायविंग लाइसेंस जप्त किया गया है। ड्रायविंग लाइसेंस दिनांक 07.02.2026 तक वैध है। दुर्घटना दिनांक 07.04.2022 की है। अनावेदक क्रमांक 01, 02 एवं 03 द्वारा इसके खण्डन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है ना ही कोई साक्ष्य पेश की है। अभियोग पत्र प्रदर्श पी 01 के अनुसार इस संबंध में कोई मोटरयान अधिनियम के तहत अभियोग पत्र कता नहीं किया

गया।

18. अतः वाद प्रश्न क्रमांक 03 के संबंध में अधिकरण का निष्कर्ष है कि अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन को वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति के चलाया जा रहा था।

<u>**वाद प्रश्न क्रमांक 04 का निराकरणः–**</u>

19. वाहन क्रमांक एमएच 03 सीपी 4335 बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था, यह साबित करने का भार बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक 03 पर है। उक्त संबंध में साक्षी बी.एल. गोमटी (अना.सा.–1) आर.टी.ओ. जलगांव जूनियर क्लर्क ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन के विवरण प्र.डी. 01, 02 03 व फिटनेस हिस्ट्री पेश की, जिस अनुसार फिटनेस दिनांक 09.10.2020 से 08.10. 2022 तक थी और वाहन का वजन 2960 किलोग्राम पर्टिक्यूलर में लेख होकर तीन हजार किलोग्राम से कम होने के कारण परमिट की आवश्यकता नहीं होना बताया। बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक 03 द्वारा बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति पेश नहीं की गई है। अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा अपने जवाब दावे के विशेष कथन में यह अभिवचन किया है कि अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी में दुर्घटनाग्रस्त वाहन घटना दिनांक को बीमित था। अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी द्वारा बीमा पॉलिसी की प्रति पेश की गई है, जिसके अनुसार दुर्घटनाग्रस्त वाहन अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी में दिनांक 28.07.2021 से दिनांक 27.07.2022 तक बीमित है, जिसके खण्डन में बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक 03 द्वारा कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश नहीं की है।

20. अतः इस प्रकार वाद प्रश्न क्रमांक 04 के संबंध में अधिकरण का निष्कर्ष है कि

अनावेदक क्र. 01 द्वारा दुर्घटना दिनांक 07.04.2022 को दुर्घटनाग्रस्त वाहन क्रमांक एमएच 03 सीपी 4335 को बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में नहीं चलाया जा रहा था।

<u>वाद प्रश्न क्रमांक–05 का निराकरण :–</u>

21. याचिकाकर्ता नंदकिशोर (आ.सा. 01) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दुर्घटना के समय ऐसोसियड अल्कोहल ब्रेववीज खोडी फैक्ट्री में बायलर ऑपरेटर का कार्य कर ₹ 29,205/– प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता था और उक्त संबंध में उसने वेतन पे स्लिप प्रदर्श पी–24 लगायत 26 माह अप्रेल 2022, मई 2022, जून 2022 प्रस्तुत की है।

22. याचिकाकर्ता नंदकिशोर (आ.सा. 01) ने मोरी मेमोरियल अस्पताल का डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श पी 10 एवं कमलाबेन अस्पताल का डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श पी 09 एवं 08 पेश किया है। डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श पी 10 के अनुसार वह उक्त अस्पताल में दिनांक 08.04.2022 को भर्ती हुआ और दिनांक 09.04.2022 को डिस्चार्ज हुआ। प्रदर्श पी 09 के कमलाबेन अस्पताल के अनुसार वह दिनांक 14.04.2022 को भर्ती हुआ और दिनांक 18.04.2022 को डिस्चार्ज हुआ। प्रदर्श पी 08 का दस्तावेज पेश किया है, जिसके अनुसार वह दिनांक 22.07.2022 को उपस्थित हुआ और दिनांक 24.07.2022 को डिस्चार्ज हुआ। इस प्रकार दोनों डिस्चार्ज टिकिट के अनुसार याचिकाकर्ता 10 दिन भर्ती रहा है।

23. आवेदक ने अपने इलाज, जांच और मेडिसिन के संबंध में प्रदर्श पी 10 लगायत प्रदर्श पी 22 के दस्तावेज पेश किये हैं।

24. इलाज एवं जांच के बिल निम्नानुसार है :–

क्र.	बिल दिनांक	बिल की प्रकृति	राशि	प्रदर्श
1	09.04.2022	मोरी अस्पताल का बिल	16,000/–	प्रदर्श पी–10

25. याचिकाकर्ता द्वारा मेडिसिन के संबंध में निम्न बिल पेश किये है :–

क्र.	बिल दिनांक	बिल की प्रकृति	राशि	प्रदर्श
1	08.04.2022	मेडीकल बिल	716	प्रदर्श पी 11
2	08.04.2022	मेडीकल बिल	465	प्रदर्श पी 12
3	08.04.2022	मेडीकल बिल	948	प्रदर्श पी 13
4	08.04.2022	मेडीकल बिल	635	प्रदर्श पी 14
5	08.04.2022	मेडीकल बिल	140	प्रदर्श पी 15
6	08.04.2022	मेडीकल बिल	62	प्रदर्श पी 16
7	09.04.2022	मेडीकल बिल	270	प्रदर्श पी 17
8	09.04.2022	मेडीकल बिल	575	प्रदर्श पी 18
9	04.05.2022	मेडीकल बिल	1,000	प्रदर्श पी 19
10	24.07.2022	मेडीकल बिल	11,611	प्रदर्श पी 20
11	25.08.2022	मेडीकल बिल	12,720	प्रदर्श पी 21
12	24.09.2022	मेडीकल बिल	15,889	प्रदर्श पी 22
कुल योग			**45,031/–**	

26. आवेदक के इलाज में अस्पताल का कुल खर्च ₹ 16,000/– एवं मेडिसिन के संबंध में कुल खर्च ₹ 45,031/– अर्थात् कुल राशि ₹ 61,031/– होती है। आवेदक लगभग 10 दिन अस्पताल में भर्ती रहा है।

27. याचिकाकर्ता नंदकिशोर को अस्थिभंग था। अतः आहत/आवेदक की ₹

29,205/– प्रतिमाह आय की दर से तीन माह आय ₹ 87,615/– दिलाया जाना उचित दर्शित होता है। पौष्टिक आहार, अटेंडर एवं आने जाने के व्यय के लिये एक माह के लिये कुल ₹ 10,000/– दिलाया जाना उचित दर्शित होता है। गैर वित्तीय शारीरिक एवं मानसिक हानि के लिये ₹ 60,000/– उचित दर्शित होता है।

28. इस प्रकार आवेदक अनावेदकगण से निम्न तालिका अनुसार प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी है –

स.क्र.	प्रतिकर शीर्षक	प्रतिकर गणना आधारित राशि
1	इलाज में वास्तविक खर्च (बिल अनुसार)	**₹ 61,031/–**
2	विशेष पोष्टिक आहार व्यय/अण्टेंडर व्यय एवं आवागमन व्यय	**₹ 10,000/–**
3	व्यवसाय की वास्तविक हानि	**₹ 87,615/–**
4	गैरवित्तीय हानि शारीरिक पीड़ा एवं मानसिक वैदना के लिये	**₹ 60,000/–**
	कुल योग	**₹ 2,18,646/–**

29. माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **विमलाबाई एवं अन्य विरूद्ध शरीफ खान एवं अन्य 2009 (4) एमपीएलजे 453** में यह अभिनिर्धारित किया है कि उल्लंघन करने वाले मोटरयान की ओर से लापरवाही के मामले में क्षतिपूर्ति का संदाय करने हेतु बीमाकर्ता के साथ–साथ यान के चालक/स्वामी पर भी संयुक्ततः एवं पृथकतः दायित्व डालना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

सविथा विरूद्व एम/एस. चौलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2020 (II) (माननीय तीन न्यायमूर्तिगण) एमपीडब्ल्यूएन 43 : एआईआर 2020 एससी 3224 में छः प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्रदान किया गया है। माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ग्वालियर ने **प्रभूलाल रजक विरूद्व विजय कुमार शर्मा 2019 (3) टी.ए.सी. 651 (एम.पी.)** में छः प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्रदान किया है।

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्व केशव बहादुर एवं अन्य एआईआर 2004 एससी 1581** मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 171 (निरसित की सुसंगत धारा 110 सीसी) और व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 34 को निर्दिष्ट करते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि क्षतिपूर्ति के भुगतान में व्यतिक्रम के लिये ब्याज दर में भूतलक्षीय प्रभाव से उच्चतर ब्याज दर अधिरोपित नहीं किया जा सकता।

31. इस प्रकार वाद प्रश्न क्रमांक 05 के संबंध में अधिकरण का निर्णय है कि याचिकाकर्ता ₹ 2,18,646/–(₹ दो लाख अठ्ठारह हजार छः सौ छियालीस) क्षतिपूर्ति राशि एवं उक्त राशि पर 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज याचिका प्रस्तुती दिनांक 07.09.2022 से अनावेदक क्रमांक 01, 02 व 03 से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक प्राप्त करने का अधिकारी है।

<u>वाद प्रश्न क्रमांक–06 सहायता एवं वाद व्यय :–</u>

32. फलतः याचिकाकर्ता द्वारा धारा 166 मोटरयान अधिनियिम 1988 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति हेतु याचिका अंशतः स्वीकार कर निम्न अनुसार अवार्ड पारित किया जाता हैः–

(01) याचिकाकर्ता कुल क्षतिपूर्ति राशि ₹ 2,18,646/— (₹ दो लाख अठ्ठारह हजार छः सौ छियालीस) एक माह के भीतर संयुक्तः व पृथकतः अनावेदक कमांक 01, 02 व 03 से प्राप्त करने का हकदार है, जिसका संदाय अनावेदक कमांक 03 द्वारा किया जायेगा।

(02) इसके अतिरिक्त उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदक/याचिका प्रस्तुत करने के दिनांक 07.09.2022 से संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि संदाय करने तक 06 प्रतिशत (छः प्रतिशत) वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी प्राप्त करने का हकदार हैं।

(03) अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि, यदि कोई हो, उक्त अंतिम क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित की जावे।

(04) याचिकाकर्ता ने अपना इलाज व्यक्तिगत खर्चे से किया है। अतः याचिकाकर्ता की आयु एवं इलाज में हुए खर्च को देखते हुए याचिकाकर्ता प्रतिकर राशि नगद प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रतिकर राशि याचिकाकर्ता को बैंक खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावे।

(05) अनावेदक क0 1, 2 व 3 अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे एवं आवेदक का भी व्यय वहन करेंगे।

(06) अधिवक्ता शुल्क ₹ 1,500 (₹ एक हजार पॉच सौ) अथवा सूची अनुसार जो भी प्रमाणित पाया जाये, उनमें से जो न्यून हो, व्यय तालिका में जोड़ा जाये।

तद्नुसार उक्त क्लेम प्रकरण में व्यय तालिका बनायी जाए।

दिनांक : 26/03/2025

स्थान : बड़वाह, जिला मण्ड़लेश्वर

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं मुद्रांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

(सुश्री श्वेता गोयल)
सदस्य
प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बड़वाह, जिला मण्ड़लेश्वर (प.नि.)

(सुश्री श्वेता गोयल)
सदस्य
प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बड़वाह, जिला मण्ड़लेश्वर (प.नि.)

SWETA GOYAL

Digitally signed by SWETA GOYAL
Date: 2025.03.26 13:32:03 +0530